प्रेसनोट
दिनांक 06.10.2024

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल चाकू व खूनालूदा कपड़े बरामद–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0–335/24, धारा 103(1)बीएनएस से सम्बन्धित हत्याभियुक्त–01. कनीवा पुत्र मस्तु निवासी रामपुर खगईजोत थाना कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर को रेलवे स्टेशन भवानीपुर कला के पास से गिरफ्तार कर उसके निशानदेही से आलाकत्ल चाकू व खूनालूदा कपड़े बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 04.10.2024 को शाम करीब 06:00 बजे थाना इटियाथोक क्षेत्र अंतर्गत गांधी चबूतरा भवानियापुर खुर्द निवासी लालजी शिल्पकार पुत्र श्यामू शिल्पकार को उसके साढ़ू कनीवा पुत्र मस्तु द्वारा चाकू से गला रेत कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था। परिजनों द्वारा घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल बलरामपुर ले गए जहां पर डॉक्टरों द्वारा लालजी शिल्पकार को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर उच्चाधिकारीगणों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा डॉग स्क्वायड व फॉरेसिंक यूनिट को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। मृतक के पुत्र अरून कुमार शिल्पकार की लिखित तहरीर पर थाना इटियाथोक पर मु0अ0सं0–335/2024 धारा 103(1) बीएनएस बनाम कनीवा पुत्र मस्तू निवासी रामपुर खगईजोत थाना को०देहात जनपद बलरामपुर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष इटियाथोक को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। जिसके क्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन व इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त कनीवा पुत्र मस्तु निवासी रामपुर खगईजोत थाना कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर को रेलवे स्टेशन भवानीपुर कला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त की शादी करीब 08 वर्ष पूर्व ग्राम गांधी चबूतरा भवनियापुर खुर्द में दयाराम की लड़की के साथ हुई थी। करीब 01 वर्ष से अभियुक्त की पत्नी अपने जीजा के घर रह रही थी। अभियुक्त के ससुर व साढ़ू एक ही गांव के रहने वाले थे। अभियुक्त द्वारा कई बार अपनी पत्नी को लाने हेतु साढ़ू के घर गया हुआ था। लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ रहने को राजी नही थी। पत्नी के घर न आने की बात से अभियुक्त काफी पेरशान रहा करता था। अभियुक्त को अपनी पत्नी व साढ़ू के बीच प्रेम प्रसंग होने का शक कुछ दिन पूर्व से शुरू हुआ था। जिस कारण अभियुक्त कनीव द्वारा अपने साढ़ू को ठिकाने लगाने हेतु योजना बनायी। घटना वाले दिन अभियुक्त द्वारा अपने साढ़ू को शराब पिलाने के बहाने योजनाबद्ध तरीके से घर से कुछ दूर ले जाकर सागौन के पेड़ के नीचे शराब पिलायी। जहां पर मौका पाकर अभियुक्त कनीव द्वारा अपने साढ़ू लाल जी का गला चाकू से रेत दिया। लालजी के चीखने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहंचे, उसी बीच अभियुक्त कनीव मौका पाकर फरार हो गया तथा चाकू को पास के गन्ने के खेत में छुपा दिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. कनीवा पुत्र मस्तु निवासी रामपुर खगईजोत थाना कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–335/24, धारा 103(1) बीएनएस थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. आलाकत्ल चाकू।
02. खूनालूदा कपड़े।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. शेषमणि पाण्डेय थानाध्यक्ष इटियाथोक।
02. उ0नि0 विवेक कुमार।
03. हे0का0 स्वामीनाथ मौर्य।
04. का0 शैलेन्द्र कुमार।
05. का0 नन्दू कुमार शाह।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट,</u>
<u>दिनांक 06.10.2024</u>

<u>चोरी की कई घटनाओं का खुलासा, 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल, रूपये, पर्स व कारतूस बरामद–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–759/24, धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0–760/24, धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0–761/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 03 शातिर चोर–01. मनीष शर्मा उर्फ पुल्ली शर्मा पुत्र स्व0 विजयलाल शर्मा नि0 पटेल नगर घोसियाना थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 02. अनीस उर्फ राजाबाबू पुत्र स्व0 जुम्मन नि0 इमामबाड़ा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 03. साहीस इदीरीशी पुत्र सावीर अली नि0 काशीराम कालोनी इमामबाड़ा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल, रूपये, पर्स व कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 05.10.2024 को वादी चन्द्र कुमार पुत्र स्व0 छांगुर प्रसाद नि0 दत्तनगर विशेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 30.09.2024 को जिला अस्पताल गोण्डा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी मोटरसाईकिल को चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 06. 10.2024 को विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तों–01. मनीष शर्मा उर्फ पुल्ली शर्मा, 02. अनीस उर्फ राजा बाबू, 03. साहीस इदीरीशी को अली रजा फर्म अयोध्या रोड के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल व जामातलाशी के दौरान अभियुक्त अनीस उर्फ राजाबाबू के कब्जे से 570 रू0 नगद, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद एन्सुरेंस की छायाप्रति व अभियुक्त साहीस इदीरीशी के कब्जे से 4660 रू0 नगद, 01 अदद आधार कार्ड व 01 अदद 315 बोर की कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैद्यानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

गिरफ्तार अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्तगणों का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने हेतु चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक 30.09.2024 को जिला अस्पताल गोण्डा से मोटरसाईकिल चोरी की थी तथा दिनांक 04.10.2024 को जलाली मस्जिद के पास टैम्पो से 4600 रू0 नगद तथा 04.10.2024 की सुबह अनीस उर्फ राजा बाबू ने एक टैक्सी से अम्बेडकर चौराहे के पास से पर्स चुरायी थी। जिसके सम्बन्ध में पूर्व में थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. मनीष शर्मा उर्फ पुल्ली शर्मा पुत्र स्व0 विजयलाल शर्मा नि0 पटेल नगर घोसियाना थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. अनीस उर्फ राजाबाबू पुत्र स्व0 जुम्मन नि0 इमामबाड़ा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. साहीस इदीरीशी पुत्र सावीर अली नि0 काशीराम कालोनी इमामबाड़ा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–763/24, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–759/24, धारा 303(2) बीएनएस बढोत्तरी धारा 317(2),313,111(7) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0–760/24, धारा 303(2) बीएनएस बढोत्तरी धारा 317(2),313,111(7) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0सं0–761/24, धारा 303(2) बीएनएस बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. मु0अ0सं0–759/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अदद मोटरसाईकिल नम्बर–यू0पी043ए0सी0 8682

02. मु0अ0सं0–760/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 4660 रू0 नगद व 01 अदद आधार कार्ड।

03. मु0अ0सं0–761/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अदद काला पर्स व 500 रू0 नगद, 01 अदद आधार कार्ड व गाड़ी का एन्सुरेंस पेपर।

04. 01 अदद कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास मनीष शर्मा उर्फ पुल्ली शर्मा–

01. मु0अ0सं0–632/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहास अनीस उर्फ राजा बाबू–

01. मु0अ0सं0–22/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा

02. मु0अ0सं0–120/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा

03. मु0अ0सं0–131/24 धारा 147,148,323,325,427,452,504,506 भादवि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा

04. मु0अ0सं0–655/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोंडा।

05. मु0अ0सं0–726/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।

आपराधिक इतिहास साहिल इदीरीशी

01. मु0अ0सं0 843/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोंडा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

02. उ0नि0 दिनेश राय।

02. उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता।

03. उ0नि0 विकाशगुप्ता।

04. हे0का0 राजकरन यादव।

05. का0 बृजमोहन लाला।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 06.10.2024, थाना को0मनकापुर

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के षड्यंत्रकारी अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-441/24, धारा 137(2), 87, 142, 143(2), 61(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आयी अभियुक्ता सीमा वर्मा पत्नी नरेन्द्र पाल निवासी बनगवा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को मछली बाजार रोड़ आईटीआई तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.08.2024 को थाना को0मनकापुर क्षेत्र के रहने वाले एक महिला द्वारा थाना को0मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0सं0-441/24, धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवचेना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त विरेन्द्र उर्फ लाला उर्फ नीरज पुत्र शिवनाथ वर्मा निवासी ग्राम शेखापुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। पीड़िता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 87, 142,143(2), 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 06.10.2024 को उक्त घटना में संलिप्त आपराधिक **षड्यंत्रकारी अभियुक्ता** सीमा वर्मा पत्नी नरेन्द्र पाल निवासी बनगवा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को मछली बाजार रोड़ आईटीआई तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. सीमा वर्मा पत्नी नरेन्द्र पाल निवासी बनगवा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-441/24, धारा 137(2), 87, 142, 143(2), 61(2) बीएनएस थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कमल किशोर मिश्र
02. हे0का0 मृत्युंजय गुप्ता
03. म0का0 अंजली किरण मौर्य

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 06.10.2024, थाना को0नगर

जनपद गोण्डा।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा दहेज की अतिरिक्त माँग करने व उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 754/2024 धारा 498-ए, 377, 323, 504, 506 भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. शिवम शुक्ला पुत्र मिथलेश कुमार शुक्ला निवासी ग्राम शुकुलपुरवा कटहामाटी थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा को मोहल्ला ग्रीन सिटी बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.10.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी शादी विपक्षी शिवम शुक्ला के साथ वर्ष 2022 में हुआ था। शादी के माह पूर्व विपक्षी का अध्यापक पद पर नौकरी लग गयी। ससुरालजनों द्वारा दहेज की अतिरिक्त माँग करने लगे तथा विपक्षी शिवम शुक्ला द्वारा उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार करता मना करने पर मारता पीटता था। प्राप्त तहरीर की आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त 01. शिवम शुक्ला पुत्र मिथलेश कुमार शुक्ला निवासी ग्राम शुकुलपुरवा कटहामाटी थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा को मोहल्ला ग्रीन सिटी बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शिवम शुक्ला उर्फ राजा पुत्र मिथलेश निवासी शुक्ला उर्फ राजा पुत्र मिथलेश निवासी शुक्लापुरवा मौजा कटहामाफी थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 754/2024 धारा 498-ए, 377, 323, 504, 506 भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट, थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 साहेब कुमार
02. हे0का0 सुरेश कुमार सिंह
03. हे0का0 महताब खाँ
04. हे0का0 अंगद कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 06.10.2024

परिवार परामर्श केन्द्र में 02 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजी:-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 02 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-
श्री गंगाधर शुक्ला, श्रीमती संतोष ओझा, श्री शाशी कुमार भारती, श्री राजमंगल मौर्या, श्री यशोदानन्दन त्रिपाठी, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीमती प्रतीभा सिंह, म0का0 शाहिना बानों आदि मौजूद रही।

मीडिया सेल, गोंडा।